

2
8/6/18

राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष-2018
एवम्
समस्या समाधान शिविर/लोक अदालत/केम्प कांटेस
(देखिए धारा 136 राजस्थान अधिनियम 1956)

3
8/6/18

62/2018
8/6/18

1708
8/6/18

सेवा में

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
मसूदा

विषय:- जमाबन्दी खाता 73 में इन्द्राज दुरुस्ती के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम काडी की जमाबन्दी में खाता संख्या 73 पर आवेदक का नाम कान्हा फरीद जोषा दर्ज है जबकि आवेदक का सही नाम है अतः आवेदक के खाते में सही नाम दर्ज कराने की कृपा करावे।

संलग्न:- साक्ष्य दस्तावेज

कान्हा

हस्ताक्षर गवाह मय नाम

प्राथी के हस्ताक्षर

जांच रिपोर्ट

जांच रिपोर्ट
रिकार्ड जमाबन्दी संख्या 2073-76 ग्राम काडी के खाता संख्या 73 में प्राथी राज नि. देवराज गुज जाति/प्रविष्टि राज दर्ज है इसका स्थान पर प्राथी का नाम प्रविष्टि देवराज गुज सही करवाना चाहता है मैंने इसकी जांच कर ली है। प्रस्तावित प्रविष्टि सही पाई गई अतः प्रस्तावित जाति/नाम दर्ज किया जाना उचित है विश्वानाथ के राजू को दुरुस्ती की जा
जिसका नं. 1257 दि. 7.1.08 है।

हस्ताक्षर पटवारी हल्का काडी हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक मय दिनांक 8.6.18 नायब तहसीलदार

क्रमांक भू.अ./2018/02 कार्यालय तहसीलदार (भू-अभिलेख) मसूदा जिला अजमेर दिनांक 8/6/18

मूल ही श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, मसूदा को प्रेषित कर निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी एवं जांच भू-अभिलेख निरीक्षक व नायब तहसीलदार के अनुसार प्राथी देवराज गुज जाति राज निवासी काडी नाम/जाति/प्रविष्टि राज गुज मूलाधिक रिकार्ड राज दर्ज है जांच रिपोर्ट के आधार पर इसके स्थान पर देवराज गुज दुरुस्त करने की अनुशंसा की जाती है।

तहसीलदार
मसूदा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक/ शीडर/2018/191 स्वीकृति आदेश दिनांक 8/6/18
तहसीलदार मसूदा/विजयनगर की अनुशंसा पर प्राथी श्री देवराज गुज नि. देवराज गुज निवासी काडी का नाम/जाति/प्रविष्टि राज राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राज के स्थान पर देवराज गुज दुरुस्त करने की स्वीकृति दी जाती है। शेष अंकन यथावत रहेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज

